26/4/19 आज ... पत्रावली पेश हुई ... पुनः 19 वादीगण ... तारीख 7/5/19 ...

1/4/19 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० / वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 (R) 4 CPC को स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रा० पत्र का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी वकील का उक्त प्रा० पत्र न्यायहित में स्वीकार करना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी वकील का प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 9 (4) CPC को स्वीकार कर मूल वाद सं० 308/2015 पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। मिसल फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर
बाप (... ...पुर)

Scanned by CamScanner